



2026:AHC:125825

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18786 वर्ष 2026

अबरार

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अजय कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : बिजय कुमार, जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार यादव और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री उमा शंकर मिश्रा तथा प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बिजय कुमार की ओर से उपस्थित श्री अभय राज की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका आवेदक को केस क्राइम नंबर 53/2026, धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस और धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम, पुलिस स्टेशन फरिहा, जिला फिरोजाबाद में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में एफआईआर के आरोप का समर्थन नहीं किया है, जबकि उसने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में इसका समर्थन किया है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़ित के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और पीड़ित की आयु लगभग 16 वर्ष है। आवेदक 31.3.2026 से जेल में बंद है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उन्हें जमानत मिल जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने प्रथम शिकायतकर्ता की लगभग 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा किया था। हालांकि, पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था, जबकि बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने दूसरे बयान में उसने कहा है कि आरोपी ने उसके साथ कोई दुर्यवहार नहीं किया है और वह उससे प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। उपरोक्त के मद्देनजर, बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास प्रतीत होते हैं।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **अबरार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।